

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय—सह—विशेष न्यायालय,सिवान

बसंतपुर थाना कांड संख्या 245/2021

04.08.2021 बसंतपुर थाना कांड सं. 245/2021 अंतर्गत धारा 341,323,324,353,379,504, 506,34 भा.दं.वि. एवं धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(v-3) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम में काराधीन अभियुक्त आफताब अंसारी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम प्रसाद एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम एवं सूचक को व्हाट्सएप्प विडियो कॉलिंग के माध्यम से सुना तथा अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक उमेश मांझी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 17.06.2021 को साजिश के तहत अमित प्रसाद फोन करके जगतपुरा बलथरी गांव में विद्युत खराब होने की बात कहकर सूचक को कि विद्युतमैन है उसे बुलाये उसी दिन सूचक 06:00 बजे शाम में जगतपुर बलथरी अपने सहयोगी के साथ गये तो अमजद अली, फखरुद्दीन, आफताब अंसारी, अमित प्रसाद एवं 5-6 अज्ञात लोग जाति सूचक गाली देने लगे। सूचक द्वारा विरोध करने पर अमजद अली रॉड से, आफताब अंसारी चाकू से, फखरुद्दीन बेल्ट से, अमित कुमार साईकिल के चेन से सूचक को मारे। सूचक वहीं पर बेहोश हो गये। सूचक के सहयोगी राजा बाबू और गांव के लोगों द्वारा सूचक को लकड़ी नबीगंज अस्पताल में लाया गया वहा से चिकित्सकों ने सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सिवान सदर अस्पताल से पी.एन.सी.एच. रेफर कर दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा सूचक के पॉकेट में रखा 15,300/रुपया छीन लिया गया। सूचक को जान मारने की धमकी दी जा रही है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा इसने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदक को इस झूठे मुकदमे में उसके शत्रुओं द्वारा जान बुझकर फंसाया गया है। सभी आरोप झूठे एवं निराधार है। आवेदक अभियुक्त पर चोरी का स्पष्ट आरोप नहीं है तथा धारा 353 भा.दं.वि. का मामला नहीं बनता है क्योंकि अभिकथित घटना के सूचक प्राईवेट विद्युतमैन है। अभिकथित घटनास्थल सार्वजनिक नहीं है अतः विशेष अधिनियम का मामला नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथ वे दिनांक 14.07.2021 से ही काराधीन है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के सदस्य को चाकू से मारने एवं जाति सूचक गाली गलौज का आरोप है। अतः दाखिल जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं किन्तु इनके द्वारा कथन किया कि एकमात्र सूचक के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का होने का मंतव्य दिया गया है।

सूचक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्त चाकू से मारे थे।

उपरोक्त तर्कों, तथ्यों, परिस्थितियों आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध जातिसूचक गाली गलौज करने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप नहीं होने, मामले में एकमात्र जख्मी सूचक के सभी जख्मों को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति के होने का मंतव्य देने, जमानत आवेदन की कंडिका 3 के कथनानुसार कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने का किया गया कथन, आवेदक के कारा में रहने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/ रुपये के बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश